

सं- 16/बी1.-05A / 2018-
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

निदेशक, आयुर्वेद,
आयुष निदेशालय, बिहार, पटना
सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार। /पटना, दिनांक -

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0001 देशी आयु0 विज्ञान निदेशालय, विपत्र कोड-20-2210021010001 मांग संख्या-20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विभिन्न इकाईयों में कुल- 96,04,200/- (छेयानवे लाख चार हजार दो सौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल- 96,04,200/- (छेयानवे लाख चार हजार दो सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 -2561/वि0(2) दिनांक -17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या - 354/वि0 दिनांक 28.03.2018, वित्त विभागीय पत्रांक 3244/वि0 दिनांक-04.05.2018 एवं 6903 दिनांक 13.09.2018 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं0 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101 आयुर्वेद-0001 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय विपत्र कोड-20-2210021010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र 868/वि0 दिनांक-10.12.2018 द्वारा द्वितीय अनुपूरक आगणन के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशालय स्तर पर निदेशक (आयुर्वेद) एवं जिला स्तर पर जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाय वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे0चि0) दिनांक - 12.2.99 ए 801 (दे0चि0) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. मकान किराया कर के लिए अद्यतन भवन उपलब्धता प्रमाण पत्र तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किराया दर की सत्यापित प्रति व साथ मांग पत्र भेजी जाय ताकि आवंटन पर विचार किया जा सके।


11. इस आवंटनादेश से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह फरवरी 2019 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जा सकेगा। सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी के बकाया वेतन का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2018-19 का अद्यतन व्यय विवरणी के साथ पूरे वित्तीय वर्ष का व्यय आकलित कर मांग पत्र भेजी जाय, तथा प्रत्येक मा की दसवीं तारीख तक नियमित रूप से व्यय विवरणी भी भेजी जाय।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वरूपाजन



सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक - 25.03.2019

ज्ञाप सं0 - 45 'ब' (आ. चि.)

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, स्वा0 के आप्त सचिव / प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी व सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



0001- देशी आयु० विज्ञान निदेशालय, वित्तीय वर्ष 2018-19 का आवंटन

विवरण							
क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	वेतन	01 01	235238000	206424100	3613700	210037800	25200200
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	54017000	30451390	3500000	33951390	20065610
3	मकान किराया भत्ता	01 04	35312000	16051300	1600000	17651300	17660700
4	परिवहन भत्ता	01 05	1401000	1069600	0	1069600	331400
5	चिकित्सा भत्ता	01 06	3078000	2694300	0	2694300	383700
6	अन्य भत्ता	01 07	590000	176900	0	176900	413100
	योग (वेतन एवं भत्ता)		329636000	256867590	8713700	265581290	64054710
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	535000	223960	0	223960	311040
8	यात्रा व्यय	11 01	595000	477500	0	477500	117500
9	कार्यालय व्यय	13 01	4260000	4260000	0	4260000	0
10	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13 02	200000	100000	0	100000	100000
11	दूरभाष	13 03	262000	197500	0	197500	64500
12	विद्युत प्रभार	13 04	1066000	794000	0	794000	272000
13	विधि प्रभार	13 05	525000	525000	0	525000	0
14	वर्दी पोशाक	13 06	376000	353000	0	353000	23000
15	भाडे की गाड़ी का भुगतान	13 10	1500000	1500000	0	1500000	0
16	किराया म० एवं कर	14 01	5995000	3352160	890500	4242660	1752340
17	प्रशिक्षण व्यय	20 03	200000	35000	0	35000	165000
18	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	3808000	3808000	0	3808000	0
19	दवा भंडार	21 02	10200000	10200000	0	10200000	0
20	व्यवसायिक एवं विशेष सेवार्ये	28 01	0	0	0	0	0
21	संविदा सेवार्ये	28 02	2900000	1540000	0	1540000	1360000
22	मशीन एवं उपस्कर	52 01	3215000	3215000	0	3215000	0
	योग		365273000	287448710	9604200	297052910	68220090

(छेयानवे लाख चार हजार दो सौ) मात्र



सरकार के विशेष सचिव



45 'ब' (आ. वि.)

25.3.2019

